न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 110/2024 निर्णय दिनांक:23.06.2025
ऑनलाईन नम्बर 2024/236

1. प्रहलादसिंह पुत्र अभयसिंह जाति राजपूत साकिन कोटड़ी बास ग्राम बैनीसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जलिा बीकानेर।
2. तेजकंवर पत्नि स्व. नत्थूसिंह जाति राजपूत साकिन कोटड़ी बास ग्राम बैनीसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जलिा बीकानेर।
3. नरेन्द्रसिंह पुत्र नत्थूसिंह जाति राजपूत साकिन कोटड़ी बास ग्राम बैनीसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जलिा बीकानेर।
4. रूपसिंह पुत्र नत्थूसिंह जाति राजपूत साकिन कोटड़ी बास ग्राम बैनीसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जलिा बीकानेर।
5. अभिमन्युसिंह पुत्र नत्थूसिंह जाति राजपूत साकिन कोटड़ी बास ग्राम बैनीसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जलिा बीकानेर।

—प्रार्थीगण—

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

—अप्रार्थी—

उपस्थितिः—

1. श्री रणवीरसिंह अभिभाषक प्रार्थीगण।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू—राजस्व अधिनियम</u>

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण निम्न आधारों पर प्रस्तुत है कि प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि मौजा रोही ग्राम बैनीसर तहसील श्रीडूंगरगढ में खेत खसरा न. 125 तादादी 7.5600 हैक्टेयर, खसरा न. 272 तादादी 13.4100 हैक्टेयर, खसरा न. 421 तादादी 10.7800 हैक्टेयर मय टावर, खसरा न. 423 तादादी 6.4300 हैक्टेयर, खसरा न. 523 तादादी 10.6200 हैक्टेयर एवं खसरा न. 527 तादादी 1.8600 हैक्टेयर कुल खसरे 06 कुल तादादी 50.6600 हैक्टेयर संयुक्त खाते की पुस्तैनी कृषि भूमि है। जिस पर प्रार्थीगण संयुक्त रूप से काबिज काश्त है। प्रार्थीगण की उपरोक्त कृषि भूमि रेतीली होने के कारण आन्धीया चलने की वजह से सींव दाये बाये हो गयी है जिसको लेकर पड़ौसियों के साथ कई बार कहासुनी हो जाती है। प्रार्थीगण शांति प्रकृति के व्यक्ति है जो नहीं चाहते कि सींव को लेकर पड़ौसियों के साथ कोई विवाद हो। इसलिए प्रार्थीगण अपने खर्चे पर माननीय न्यायालय के माध्यम से अपनी कृषि भूमि जिसका विवरण प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 1 में वर्णित अंकित है की सीमा पर स्थायी सीमाचिन्ह का निर्माण करवाना चाहता है जिसका यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। प्रार्थीगण के उपरोक्त कृषि भूमि जो अलग अलग खसरों में अंकित है की पैमाईश करवाकर स्थायी सीमा चिन्ह प्रार्थीगण के खर्चे पर निर्मित करवाने के आदेश प्रदान करावे जिसकी यह [illegible] है। प्रार्थी ने इससे पूर्व कोई प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश नहीं किया था। अन्दर मियाद पूर्ण [illegible] पर न्यायालय के श्रवणाधिकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.16 12:59:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

व क्षेत्राधिकार में है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर खातेदारी कृषि भूमि मौजा रोही ग्राम बैनीसर तहसील श्रीडूंगरगढ में खेत खसरा न. 125 तादादी 7.5600 हैक्टेयर, खसरा न. 272 तादादी 13.4100 हैक्टेयर, खसरा न. 421 तादादी 10.7800 हैक्टेयर मय टावर, खसरा न. 423 तादादी 6.4300 हैक्टेयर, खसरा न. 523 तादादी 10.6200 हैक्टेयर एवं खसरा न. 527 तादादी 1.8600 हैक्टेयर कुल खसरे 06 कुल तादादी 50.6600 हैक्टेयर की पेमाईश करवायी जाकर सींव के स्थायी चिन्ह प्रार्थी को दिये जावे जिन पर प्रार्थीगण के खर्चे पर स्थायी सीमा चिन्ह निर्मित करवाने के आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थीगण के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पैरोकाराज ने जवाब पेश किया गया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। स्टेट की ओर से पैरोकारराज ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि रोही ग्राम बेनीसर के खसरा नंबर 272 का दिनांक 03.06.2024 को सीमाज्ञान तत्कालीन गठित टीम द्वारा किया जा चुका है व सीमा बिन्दु बताये जा चुकें है। मुताबिक पटवारी हल्का रिपोर्ट अन्य खसरा नंबर 125, खसरा नंबर 421, खसरा नंबर 423, खसरा नंबर 523 व खसरा नंबर 527 के सीमापवर्ती खसरों में फसल का बिजान किया होने से सीमाज्ञान नहीं हुआ है। अतः राज्यहित को ध्यान में रखतें हुए यदि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो स्टेट को किसी प्रकार की आपति नहीं है।

हमनें उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं दस्तावेजो का अवलोकन किया। संक्षेप में स्टेट को प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार करनमें में आपति नहीं होने व प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नम्बर 272 तादादी 13.4100 हैक्टेयर वाकेरोही बेनीसर तहसील श्रीडूंगरगढ की खातेदारी प्रार्थीगण की पृथक से दर्ज है। खसरा नंबर 272 के सीमाचिन्ह जो नक्शे में मौजदू है उनके आधार पर अथवा रिकार्ड के अनुसार प्रार्थीगण की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी कर सीमा चिन्ह कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं खेत खसरा नंबर 125 खसरा नंबर 421 खसरा नंबर 423 खसरा नंबर 523 व खसरा नंबर 527 वाके रोही बेनीसर तहसील श्रीडूंगरगढ का प्रार्थीगण की उपस्थिति में सीमाज्ञान करवाया जाकर पत्थरगढी कर सीमाचिन्ह कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ को 1000/–रू. की कोस्ट पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। फीस कमिश्नर प्रार्थी द्वारा वहन की जावेगी। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ नियमानुसार राशि राजकोष में प्रार्थीगण से जमा कर भूमि की पत्थरगढ़ी करवाना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 23.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.16 12:59:37 IST
Reason: SelfAttested